20

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

विविध प्रकरण क्र. /2017

III/विविध/भिण्ड/भू.रा/2017/3774

विनोद भार्गव अधि. द्वारा आज दि. 9-10-17 प्रस्तुत

पं.दि. 16.10.17

रामलखन पुत्र श्री जयराम प्रसाद अरेले, निवासी– पुरानी बस्ती भिण्ड तहसील व जिला भिण्ड (म.प्र.)

--आवेदक

विरुद्ध

रामेश्वर दयाल पुत्र जयराम प्रसाद अरेले, निवासी– पुरानी बस्ती भिण्ड तहसील व जिला भिण्ड (म.प्र.)

--अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 सी.पी.सी

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

1. यहकि, अनावेदक द्वारा माननीय इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 738–तीन/2003 प्रस्तुत किया था, जिसमें दिनांक 03/11/2011 को आदेश पारित किया गया।

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 09-10-2017

2. यहकि, आदेश में रामलखन पुत्र श्री जयराम प्रसाद अरेले की जगह माननीय इस न्यायालय द्वारा लिपकीय त्रुटिवश आदेश में रामलखन पुत्र श्री रामेश्वर दयाल अरेले टंकित हो गया है।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि न्याय हित में आवेदन स्वीकार कर आदेश में **रामलखन पुत्र श्री रामेश्वर दयाल अरेले** की जगह **रामलखन पुत्र श्री जयराम प्रसाद अरेले** टंकित किये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

ग्वालियर

दिनांकः 09/10/2017

निवेदक

रामलखन ---**आवेदक**

द्वारा अभिभाषक

आर. डी. शर्मा,

विनोद भार्गव एवं अमित भार्गव

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/विविध/भिण्ड/भू.रा./2017/3774

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
21-12-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री विनोद भार्गव उपस्थित होकर उनके द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 सी0 पी0 सी0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है िकइस न्यायालय के प्रकरण कमांक 738–तीन/2003 में पारित आदेश दिनांक 03.11.2011 को आदेश पारित किया गया था, उसमें लिपिकीय त्रुटिवश आदेश में रामलखन पुत्र श्री रामेश्वर दयाल अरेले टंकित हो गया है, जबकि रामलखन पुत्र श्री रामेश्वर दयाल अरेले के स्थान पर रामलखन पुत्र श्री जयराम प्रसाद अरेले होना चाहिये। 2– आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया। विचारोपरांत अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा रामलखन पुत्र श्री रामेश्वर दयाल अरेले के स्थान पर **रामलखन पुत्र श्री जयराम प्रसाद अरेले पढ़ा जावे।** यह आदेश पत्रिका मूल आदेश का अंग मानी जावेगी। सदस्य	